न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 23/2017
निर्णय दिनांकः– 26.09.2024
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

रामप्यारी देवी पत्नि स्व0 बद्री जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू (मृतक)
1/1 रामस्वरूप पुत्र स्व0 बद्री
1/2. गोपाल पुत्र स्व0 बद्री
1/3 मदन पुत्र स्व0 बद्री
1/4 रामावतार पुत्र स्व0 बद्री
1/5 प्रेम चन्द पुत्र स्व0 बद्री
1/6 बृजमोहन पुत्र स्व0 बद्री
1/7 बनवारी पुत्र स्व0 बद्री
समस्त जातियान माली निवासी ग्राम निमेंडा तहसील फागी जिला दूदू।

वादीगण

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नि किशोर जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. ग्यारसी देवी पत्नी श्रीया जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर अधिवक्ता वादीया
वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 26.09.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि आराजी खतौनी संख्या 129 के आराजी खसरा नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 131 के ख0न0 3109 रकबा 14 बिस्वा, खाता संख्या 132 के ख0न0 2184 रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 2185 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बिस्वा खाता संख्या 133 ख०न० 2875 रकबा 03 बिस्वा, ख०न० 2877 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 2878 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 08 बिस्वा, खाता संख्या 134 के ख0न0 1706 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 135 के ख0न0 1578 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 1602 रकवा 5 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 1603 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 1604 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1704 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 1705 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, ख0न0 1707 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 1708 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 1712 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1713 रकबा 02 बिस्वा, ख0न0 1716 रकबा 06

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

बिस्वा, ख0न0 1722 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 1730 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 1736 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 1866 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 1889 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1890 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 1905 रकबा 05 बिस्वा, ख०न० 1913 रकबा 03 बिस्वा ख0न0 1937 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 1939 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 2177 रकबा 06 बिस्वा ख0न0 2181 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 2183 रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 2752 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 2871 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, ख0न० 2874 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 2876 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 3110 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 3113 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, ख०न० 3114 रकबा 06 बिस्वा ख0न0 3117 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 32 कुल रकबा 51 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राजस्थान में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 2 (ग्यारसी देवी) के दर्ज हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का 1/2 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.03. 2016 द्वारा क्रय करवा दिया वादिया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं मौके पर काबिज काश्त है। जिसके नामान्तकरण हेतु तहसीलदार/पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो वादिया का नामान्तकरण नही खोला गया जिस पर वादिया उक्त आराजी को जरिये विकय पत्र द्वारा कय होने के पश्चात भी नामान्तकरण नहीं खोले जाने का कारण पूछा जिस पर राजस्व रिकार्ड की नकलें लेने पर पता चला कि प्रतिवादी सं0 2 ने पूर्व में दिनांक 2.02.2016 को अपने दर्ज हिस्से में से 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 1 के हक में करवा दिया गया था जिसमें प्रतिवादी सं01 ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 2.02.2016 में खतौनी संख्या 129 में प्रतिवादी सं0 2 का दर्ज हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/12, खतौनी संख्या 131 में दर्ज हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/12, व खतौनी संख्या 132 में दर्ज हिस्सा 1/72 के स्थान पर 1/48 व खतौनी संख्या 133 में दर्ज हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/12 हिस्सा लिखवाकर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं01 ने राजस्व कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियो से मिलीभगत करके उक्त आराजी भूमि का नामान्तकरण सं0 2710 दिनांक 05.02.2016 को तस्दीक करवा लिया जो कि जो कि प्रारम्भ से ही गलत होने से शून्य एवं निरस्तनीय है। क्योकि प्रतिवादी सं0 2 के दर्ज हिस्से से अधिक है जिस पर राजस्व कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत नीमेडा ने बिना दर्ज हिस्से का मिलान किये व जांच किये ही उक्त नामान्तकरण को खोला व तस्दीक किया गया है जो न्याय नियम रिकार्डे व भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विरूद्व होने से निरस्तनीय है वास्तव मे प्रतिवादी सं0 2 ने अपने दर्ज हिस्सा का 1/2 प्रतिवादी स0 1 को विक्रय कर दिया एवं प्रतिवादी सं0 2 के शेष रही 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय वादिया को

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

कर दिया है इस प्रकार वादिया विक्रय पत्र के अनुसार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादिया हिस्से 1/2 मुताबिक विक्रय पत्र रिकार्डे खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है एवं विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजी को वादिया ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दर्ज हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में अपने नाम लगवाने बाबत् प्रतिवादी सं0 2 को कहां तो प्रतिवादी सं० 2 ने वादीया को आश्वस्त कर दिया तथा आराजी पर हिस्सेनुसार काबिज काश्त हो जब कभी समय मिलेगा आराजी आपके नाम लगवा देगें जिसपर वादिया आश्वस्त होकर अपने हिस्से 1/2 की आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया ने अपने 1/2 हिस्से की आराजी पर काफी पैसा खर्च करके आराजी को काफी उन्नत व उपजाउँ बना लिया है जिससे वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने तथा आराजी में अधिक उपज होने से प्रतिवादी सं0 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है। जिससे प्रतिवादी सं0 1 वादिया को हैरान–परेशान करने के उद्देश्य से प्रतिवादी सं0 1 जो जरिये विक्रय पत्र 02.02.2016 में प्रतिवादी सं0 2 के दर्ज हिस्से 1/2 से अधिक भूमि का प्रतिवादी सं0 1 अपने पक्ष में विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने से वादिया का विक्रय पत्र दिनांक 2.03.2016 मे दर्ज हिस्स 1/2 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही होने का प्रतिवादी सं0 1 नाजायज फायदा उठाकर अपने 1/2 हिस्से से अधिक आराजी को बैचान करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी सं01 को किसी प्रकार से कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 13.06.2016 को वादिया ने राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी सं0 2 के दर्ज राजस्व रिकार्ड से अधिक हिस्सा को प्रतिवादी सं01 ने अपने हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया था जो भू –राजस्व अधिनियम के विरूद्व नामान्तकरण खोला व तस्दीक किया गया था जिससे वादिया के जरिये विक्रय पत्र का नामान्तकरण नही खोले जाने पर पता चला जिस पर वादिया ने प्रतिवादी सं02 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी सं02 ने वादिया को आश्वस्त कर दिया कि इन्द्राज दुरूस्ती हुआ है जिसे शुद्धी कर नामान्तकरण तस्दीक का आश्वासन दिया जिस पर वादिया ने विश्वास व भरोसा कर लिया। वादिया को वाद कारण दिनांक 13.06.2016 को प्रतिवादी सं0 1 के अधिक आराजीयात का नामान्तकरण दर्ज की जानकारी से उत्पन्न हुआ तब से वाद कारण निरन्तर जारी है किन्तु हाल ही दिनांक 14.02.2017 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा मौके से कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर अन्य दीगर व्यक्तियों को बैचान करने की

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

धमकी दिये जाने से उत्पन्न हुआ है जो अन्दर मियाद पेश है। विवादग्रस्त आराजी व पक्षकारान का निवास स्थान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वाद की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार श्रीमान को पूर्ण रूप सें प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री रवि कुमार जैन उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे बताया की प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा विक्रय किया जाने का तथ्य के अनुसार विवादीत आराजी वाकै ग्राम नीमेडा तह0 फागी सही है जो विक्रय पत्र पंजीबद्ध हुआ है वह राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही हुआ है। वाद पत्र के पेरा नं० 2 जिस प्रकार से तहरीर व तकमील किया गया है वह गलत है। प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 2 के दर्ज हिस्से मे से 1/2 हिस्से की भुमि का विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है उक्त विक्रय पत्र सही है प्रतिवादी सं0 2 ने शेष 1/2 हिस्से की भूमि का भी विक्रय कर दिया है। नां0सं0 2710 दिनांक 05.02.2016 स्वीकृत किया है वह सही है तथा उक्त नामां0 को उक्त वाद में चुनोती नही दी गई है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारीज किये जाने योग्य है। वादीनी घोषणा की राहत प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। उत्तरदाता के विक्रय पत्र से वादीनी को किसी प्रकार से आपत्ति है तो वह दीवानी न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करे। वादीनी मान्य न्यायालय से किसी प्रकार से कोई राहत प्राप्त नही कर सकती है। मुताबिक मिन उत्तरदाता के पक्ष में जो विक्रय पत्र तस्दीक किया है वह सही एवं सत्य है। शेष का सम्बन्ध प्रतिवादी सं0 2 से है। जिसका प्रत्तर प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा ही दिया जा सकता है। शीर्षकीय प्रकरण में धारा 6 (4) के प्रावधान लागू नही होते है। विभिन्न न्यायालयो द्वारा प्रसारीत न्यायिक निर्णयों में धारा 63 (4) के प्रावधान को प्रतिकुल माना है। वादीनी ने उपरोक्त पैस में अपने आप को धारा 63 (4) के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने का तथ्य अर्पित किया है तथा पुर्व के तथ्यो में वादीनी ने अन्य तथ्यो का समावेश किया है इस प्रकार उपरोक्त बाद में दो भिन्न–भिन्न अभिवचन होने से प्रथम दृष्टया ही प्रकरण तथ्य व प्रावधानों के विपरित होने से खारीज फरमाने योग्य है।

प्रतिवादी सं0 2 की और जगदीश प्रसाद जाट उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शमिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया की वादी का वाद चाही गई अनुतोष के आधार पर डिकी किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 2 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी सं0 1 व 2 हाजिर अदालत नही आये। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्व

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

दिनांक 26.09.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे वाद के तथ्यों को दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर हम वादीया का वाद मुताबिक विक्रय पत्र डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी आराजी खतौनी संख्या 129 के आराजी खसरा नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 131 के ख0न0 3109 रकबा 14 बिस्वा, खाता संख्या 132 के ख0न0 2184 रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 2185 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बिस्वा खाता संख्या 133 ख०न० 2875 रकबा 03 बिस्वा, ख०न० 2877 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 2878 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 08 बिस्वा, खाता संख्या 134 के ख0न0 1706 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 135 के ख0न0 1578 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 1602 रकवा 5 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 1603 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 1604 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1704 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 1705 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, ख0न0 1707 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 1708 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 1712 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1713 रकंबा 02 बिस्वा, ख0न0 1716 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 1722 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 1730 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 1736 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 1866 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 1889 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1890 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 1905 रकबा 05 बिस्वा, ख०न० 1913 रकबा 03 बिस्वा ख0न0 1937 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 1939 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 2177 रकबा 06 बिस्वा ख0न0 2181 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 2183 रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 2752 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 2871 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 2874 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 2876 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 3110 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 3113 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, ख०न० 3114 रकबा 06 बिस्वा ख0न0 3117 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 32 कुल रकबा 51 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात मे मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2016 के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी सं0 1/1 लगायत 1/7 को रामप्यारी देवी के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे बराबर – बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/9/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

रामप्यारी बनाम प्रभाती देवी वगै0
मु0न0:– 23 / 2017
निर्णय दिनांक:– 26.09.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

रामप्यारी देवी पत्नि स्व0 बद्री जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू (मृतक)
1/1 रामस्वरूप पुत्र स्व0 बद्री
1/2. गोपाल पुत्र स्व0 बद्री
1/3 मदन पुत्र स्व0 बद्री
1/4 रामावतार पुत्र स्व0 बद्री
1/5 प्रेम चन्द पुत्र स्व0 बद्री
1/6 बृजमोहन पुत्र स्व0 बद्री
1/7 बनवारी पुत्र स्व0 बद्री
समस्त जातियान माली निवासी ग्राम निमेंडा तहसील फागी जिला दूदू।

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नि किशोर जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
2. ग्यारसी देवी पत्नी श्रीया जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
3. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
4. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 23 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर आराजी आराजी खतौनी संख्या 129 के आराजी खसरा नम्बर 1738 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 131 के ख0न0 3109 रकबा 14 बिस्वा, खाता संख्या 132 के ख0न0 2184 रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 2185 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बिस्वा खाता संख्या 133 ख०न० 2875 रकबा 03 बिस्वा, ख०न० 2877 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 2878 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 08 बिस्वा, खाता संख्या 134 के ख0न0 1706 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 135 के ख0न0 1578 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 1602 रकवा 5 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 1603 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 1604 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1704 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 1705 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, ख0न0 1707 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 1708 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 1712 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 1713 रकबा 02 बिस्वा, ख0न0 1716 रकबा 06 बिस्वा, ख0न0 1722 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 1730 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 1736 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 1866 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 1889 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1890 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 1905 रकबा 05 बिस्वा, ख०न० 1913 रकबा 03 बिस्वा ख0न0 1937 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 1939 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 2177 रकबा 06 बिस्वा ख0न0 2181 रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 2183 रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 2752 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 2871 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 2874 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 2876 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 3110 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 3113 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, ख०न० 3114 रकबा 06 बिस्वा ख0न0 3117 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 32 कुल रकबा 51 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात मे मुताबिक विकय पत्र दिनांक 02.03.2016 के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी सं0 1/1 लगायत 1/7 को रामप्यारी देवी के नाम दर्ज हिस्से की आराजी मे बराबर – बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

. निज.........X.................मुबलिग.........X.........................बाबत.........X...............................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X...............फीसदी.......X...................सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/09/2024 को जारी की गई। 26/9/24

दस्तखत.......................

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा..................

फागी, जिला–दूदू

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

26/9/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू